received from Uttar Pradesh Government; and

(b) if so, what action is being taken by the Central Government in this regard ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) and (b) The State Government of Uttar Pradesh has recommended inclusion of certain communities in Scheduled Tribe list. This proposal alongwith similar other cases has been referred to an Advisory Committee for examination. The report of the Committee is awaited.

**पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण**

**2956. श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने पिछड़े वर्गों के वर्गीकरण संबंधी कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई तारीख निर्धारित की गई है ; और

(ग) अब तक विभिन्न राज्यों द्वारा पूरा किए गए वर्गीकरण कार्य का ब्यौरा क्या है ?

**कल्याण मंत्री ( श्री सीताराम केसरी) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु अभिभावकों की आय की सीमा**

**2966. श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मैट्रिक से आगे पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए उनके अभिभावकों की मासिक आय की सीमा कितनी निर्धारित की गई है और इसे किस वर्ष निर्धारित किया गया था ; और

(ख) क्या सरकार ने निरन्तर बढ़ते हुए मूल्य सूचकांक तथा मुद्रास्फीति को देखते हुए अभिभावकों की मासिक आय सीमा को बढ़ाने का निर्णय किया है; यदि हां, तो यह आय सीमा कितनी निर्धारित की जा रही है और इसे कब से लागू किया जायेगा ?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :** (क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, 1-7-1989 से लागू पात्रता के लिए विद्यमान आय सीमा नीचे दी गई हैं :-

| | |
|---|---|
| (1) उन छात्रों के मामले में जिनके माता-पिता/संरक्षक की सभी स्रोतों से आय 1500 रुपए प्रतिमाह से अधिक न हो | पूरा निर्वाह भत्ता और पूरी फीस |
| (2) उन छात्रों के मामले में जिनके माता-पिता/संरक्षक की सभी स्रोतों से आय 1500 रुपए प्रतिमाह से अधिक किन्तु 2000 रुपए से अधिक न हो और जो निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में अध्ययन करते हैं :- | |
| (1) समूह "क" (चिकित्सा/अभियान्त्रिकी की उच्च तकनीकी/व्यावहारिक अध्ययन+पाठ्यक्रम) | |
| (2) समूह "ख" (भारतीय औषधि, में डिग्री/चिकित्सा । अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा/ समूह "ग" (अभियांत्रिकी/चिकित्सा/ प्रौद्योगिकी प्रमाण पत्र, कला/विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) समूह "घ" (सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम दूसरे वर्ष से) (तथा समूह "ङ") (10+2, सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम का पहला वर्ष) | आधा निर्वाह भत्ता तथा पूरी फीस |

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत आय सीमा बढ़ाने का मामला योजना आयोग के साथ उनकी मंजूरी के लिए उठाया गया है ।

**प्री-मैट्रिक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति**

**2967. श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने निरन्तर बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्री-मैट्रिक छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि की है ; यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या इस कारण से कोई विसंगति उत्पन्न हुई है क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत पोस्ट-मैट्रिक की छात्रवृत्ति पूर्ववत है और इससे उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को कम राशि प्राप्त हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की राज्य सरकारों की अपनी-अपनी राज्य क्षेत्र योजनाएं हैं । फिर भी कल्याण मंत्रालय की अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की दरें नीचे दी गई हैं :—

| कक्षा | संवासी छात्रों के लिए प्रति माह छात्र-वृत्ति दरें | कक्षा | दिवा छात्रों के लिए प्रति माह छात्र-वृत्ति दरें |
|---|---|---|---|
| III-VIII . . . | 200 रुपये | I-V . . . | 25 रुपए |
| IX-X . . . . | 250 रुपये | VI-VIII . . . | 40 रुपए |
| | | IX-X . . . | 50 रुपए |

योजना के अंतर्गत सभी छात्रों को अर्थात् संवासी तथा दिवा छात्र दोनों को 500 रुपए प्रति वर्ष का तदर्थ अनुदान भी ग्राह्य है ।

(ख) तथा (ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत निर्वाह भत्ते की दरों को जिनकी तुलना अन्य योजनाओं से नहीं की जाती है, समय-समय संशोधित किया गया है । तथा अन्तिम बार तारीख 1-7-1989 को संशोधित किया गया था । निर्वाह भत्ते की दरों में आगे संशोधन योजना आयोग के साथ उनके अनुमोदन के लिए पहले ही उठाया गया है ।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने की योजना**

2968. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की योजना 1993-94 से लागू की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति, जिसकी आबादी लगभग एक करोड़ है, तथा अनुसूचित जनजाति जिसकी आबादी लगभग डेढ़ करोड़ है, को देखते हुए सरकार द्वारा प्रदेश में केवल तीन व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलना पर्याप्त है; और

(ग) क्या सरकार ऐसे व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी युवाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने की एक योजना है । वर्ष 1992-93 से प्रारम्भ की गई है । अनुसूचित जाति युवा के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने की इस प्रकार की कोई योजना नहीं है । फिर भी, अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की मौजूदा योजना के अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण केन्द्रों का उद्देश्य अनुसूचित जाति युवाओं को प्रशिक्षण के पश्चात् रोजगार प्राप्त करने में सहायता देना या अपने स्वयं का कारोबार प्रारम्भ करना है और ये केन्द्र विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सरकार की वित्तीय सहायता से चलाए जा रहे हैं ।

(ख) वर्ष 1993-94 के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आदिवासी क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की योजना के वास्ते केवल 1.90 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था । इसलिए सीमित बजट होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार को 6 केन्द्रों की मांग के लिए तीन व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत किए गए थे ।

सरकार की वित्तीय सहायता से मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति युवाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 9 प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं ।

(ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्तावों की संख्या तथा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा ।

**Welfare Schemes for Children of Women Prisoners**

2969. SHRI SURESH PACHOURI. Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government have prepared any welfare scheme for the children born' to women prisoners and women languishing in mental hospitals in the country; and